

छात्रों के व्यक्तित्व एवं विकास में उच्च शिक्षा की भूमिका

Dr. VIMMI BEHAL

A-56 RISHIPURAM PHASE-1 BARKHERA BHOPAL, (MP)

भूमिका

छात्र/छात्राओं के व्यक्तित्व एवं विकास में उच्च शिक्षा को भूमि अति आवश्यक है। आधुनिक युग में उच्च शिक्षा ने पूरे देश में क्षात्रों के व्यक्तित्व एवं उनके विकास हेतु महत्वपूर्ण योगदान देकर सीमित न रहकर बल्कि असीमित रूप से व्यापक रूप ले लिया है। इसका कारण यह है कि उच्च शिक्षा ने क्षात्रों के प्रत्यक्ष अंग में प्रवेश कर लिया है जिससे कि छात्र/छात्राओं के व्यक्तित्व पर सीधा असर पड़ रहा है तकि उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन की भूमिका उच्च शिक्षा के कारण हो रही है। उच्च शिक्षा के प्रभाव से छात्रों के व्यक्तित्व में निखार आ रहा है। छात्रों के व्यक्तित्व में उच्च शिक्षा महत्वपूर्ण एवं आवश्यक अंग बनकर अच्छी भूमिका निभा रही है। जिससे कि छात्रों का भविष्य उज्ज्वल होगा।

शब्दकोश :- व्यक्तित्व, असीमित, आधुनिक, अंग।

प्रास्तावना

जीवन के हर क्षेत्र में छात्रों को व्यक्तित्व एवं अनुशासन की आवश्यकता होती है। तथा उच्च शिक्षा की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। आज प्रत्येक विद्यार्थी स्वतंत्र रहकर उच्च शिक्षा के आधार पर अपना व्यक्तित्व निखारना चाहता है छात्र आकांक्षाओं एवं अधिकारी की प्राप्ति के लिये उच्च शिक्षा ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना चाहता है जिससे कि उनका भविष्य बन सके।

छात्र को विद्या अध्ययन के समय स्वयं का व्यक्तित्व निखारने का उत्तरदायित्व रहता है। इसी कारण छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रयासरत रहते हैं। तथा उच्च शिक्षा से ही क्षात्रों में आत्म विश्वास और आत्म निर्भरता करें वृद्धि होती है। तकि छात्र अपने व्यक्तित्व के साथ ही साथ उच्चशिक्षा के बल पर देश तथा विदेश में अपना तथा अपने देश की कीर्ति फैला कर नाम रोशन कर रहे हैं। उच्च शिक्षा के कारण भारतीय छात्रों ने विदेशों में उच्च पद प्राप्त कीर्तिमान स्थापित किया है।

छात्रों के व्यक्तित्व एवं शिक्षा के विकास हेतु पूर्ण उत्तरदायित्व शिक्षकों के ऊपर ही निर्भर करता है। अतः शिक्षक उच्च शिक्षा प्राप्त होने से छात्रों उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। यदि शिक्षक स्वयं उच्च शिक्षा से शिक्षित नहीं होगा तो छात्रों को उच्च शिक्षा ढंग से प्राप्त नहीं होगी। जिसका प्रभाव छात्रों के व्यक्तित्व पर पड़ता है।

भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश प्रतिरूप पर आधारित है जिसकी नींव 1835 में रखी गई थी। शिक्षा स्तर को उन्नत करने के लिये महिला आयोग 1948–49 में राधाकृष्णन आयोग के नाम से गठित हुआ था। इसके बाद फिर माध्यमिक शिक्षा हेतु वर्ष 1952 में दूसरा आयोग गठित हुआ था। इस आयोग को मुदालियर आयोग का नाम दिया गया था। उच्च शिक्षा हेतु राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यायालयीन शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। इसके बाद फिर समय–समय पर कई आयोग गठित हुये तथा धीरे – धीरे उच्च शिक्षा की महत्वता समझकर उच्च शिक्षा की दृष्टि से कई शहरों में महाविद्यालय खोले गये कि जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो एवं उनके व्यक्तित्व का विकास हो।

उच्च शिक्षा अध्यापन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व शिक्षक का ही होता है। शिक्षक ही शिक्षा के तथा क्षात्रों के स्तर को उन्नत करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। छात्रों के व्यक्तित्व के विकास हेतु शिक्षक सदैव प्रयत्नशील रहकर तथा अपना धर्म समझकर शिक्षा देता है ताकि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास हो एवं विद्यार्थी उच्च ज्ञान प्राप्त कर अपना भविष्य उज्ज्वल कर सकें।

वर्तमान समय में शिक्षा पाने का अधिकार सभी को है। प्राचीनकाल में सिर्फ सम्पन्न परिवार के छात्र ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। आजकल मॉ सरस्वती की वंदना से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का महत्व देश के कोने-कोने में फैल रहा है। तथा सभी महाविद्यालयी क्षेत्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रयासरत रहते हैं। जिससे कि उनके व्यतिव का विकास हो सकें।

छात्रों का शिक्षा कार्य केवल मनोरथ से ही पूरे नहीं होते बल्कि छात्रों को नियमित अध्ययन करके प्रयास करना पड़ता है तब उच्च शिक्षा की प्राप्ति में सफलता मिलती है। कुछ छात्र उच्च शिक्षा के कारण दूसरे छात्रों से श्रेष्ठ और अच्छे लगते हैं। छात्रों का स्वभाव विचित्र होता है। जिससे वह मानसिक घरातल पर थोड़ी समानता का अनुभव करता है तथा उच्च शिक्षा के प्रति आर्कषित होकर उच्च शिक्षा ग्रहण करता है। महत्व— छात्रों के जीवन व्यक्तित्व को संवारने में उसके अध्यापक की भूमिका प्रमुख होती है। जैसे कि कवीरदास ने कहा है—

दोहा = गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है

गढ़ि—गढ़ि काटें खोट

अंतर हाथ संहार दे,

(अर्थात्) शिक्षक (गुरु) कुम्हार के समान है जो कच्चे घड़े को आकार देने के लिये अंदर से सहारा देता है और बाहर से पीटता है। ठीक उसी प्रकार अध्यापक बाहर से कठोर रहकर भी भीतर से अर्थात् हृदय से अपने छात्र के उच्च स्तर की कल्याण की कामना रखकर उच्च शिक्षा देता है।

संसदीय प्रणाली में तथा विधायिका में पुरुषों के समान आरक्षण मिलना चाहिये। तथा'। महिला आरक्षण के विधेयक के

नाम पर महिलाओं का आरक्षण के विधेयक के नाम पर महिला किसी भी वर्ण जाति की हों। उन्हें पुरुषवर्ग के ही समान अधिकार दिये जाने चाहिये महिलाओं महिलाओं का आरक्षण बिल भारत सरकार को संसद में शीघ्र ही पारित कराना चाहिये सभी दलों को सहमति पूर्वक यह विधेयक पारित कराना चाहिये जिससे कि महिला वर्ग को उचित दर्जा, सम्मान एवं समान अधिकार मिल सकें।

महिला आरक्षण विधेयक के नाम पर महिलाओं का सञ्जबाग दिखाने का नाटक बंद करके महिलाओं के आरक्षण का बिल पारित करने सभी राजनीतिक दलों को सहमत होकर पारित कराना चाहिये। उल्लेखनीय है कि महिला आरक्षण विधेयक इस मान्यता पर आधारित है कि लोकसभा और विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित होने से हमारे देश की महिलाओं का कल्याण होगा।

वर्तमान में समुचित आरक्षण महलाओं को न मिलने के कारण जागरूक महिलायें अपनी उपेक्षा से चिंतित हैं। संसद में महिला आरक्षण को लेकर वर्ष 1996 से लम्बित पड़ा हुआ है पिफर 2003 में पुनः विधेयक प्रस्तुत किया गया किंतु फिर भी आगे के लिये टाल दिया गया। इस विधेयक पर सभी दलों को टक होकर पारित कराना चाहिये ताकि महिलाओं का भविष्य उज्ज्वल हो सके। एवं प्रगति पथ पर आगे बढ़कर उन्नति कर सकें।

संदर्भ

1. अग्रवाल डा. वी.पी. "राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारतवर्ष में आधुनिक शिक्षा का आलोचनात्मक अध्ययन" अनु बुवश शिवाजी रोड, मेरठ
2. ओड़ लक्ष्मीलाल के. "शिक्षा के नूतन आयाम" राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
3. इन्द्रा "स्टेट्स आफ वूमेन इन एनसियेन्ट इण्डिया" मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स, बनारस
4. कौर राजकुमारी अमृत "द वूमेन" नवजीवन पब्लिशर्स हाऊस, अहमदाबाद
5. कपिल एच.के.(1992) "अनुसंधान विधियां" हरप्रसाद भार्गव, आगरा
6. करलिंगर फ्रेड एन. "फाउण्डेशन आफ विह 'वियर रिसर्च'" सुरजीत पब्लिकेशन्स, दिल्ली